

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय-माध्यमिक

प्रवेश पात्रता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्रपिता का नाम..... रो. नं. आवंटित विद्यालय..... ने आज दिनांकको इस कार्यालय में उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेजों की जांच करवाई। जांच में निम्न दस्तावेज सही पाये गये। इन्हें आवंटित विद्यालय में प्रवेश योग्य माना गया है।

1. शाला दर्पण के माध्यम से भरे गये ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति।
2. मूल निवास प्रमाण पत्र।
3. कक्षा 5 का कक्षोन्नति प्रमाण पत्र।
4. राजस्थान राज्य के विद्यालयों से कक्षा 5 उत्तीर्ण करने की शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऑनलाईन टी.सी.।
5. विद्यार्थी के पिता/माता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र/आय स्वघोषणा पत्र।
6. योजनान्तर्गत अधिकतम दो संतान ही पात्र होने का घोषणा पत्र।

सत्यमेव जयते

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी
या उनके द्वारा नामित अधिकारी

आय प्रमाण-पत्र
(प्रवेश/अन्तिम छात्रन के समय आवेदन के साथ सलग्न करें)
(यह घोषणापत्र माता/पिता/संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

भाग-1 (स्वघोषणा)

1. छात्र/छात्रा के माता/पिता/संरक्षक का नाम :
 2. निवास स्थान का पूरा पता :
- ग्राम पोस्ट तहसील जिला जिन

माता/पिता/संरक्षक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण

(1)	कृषि भूमि से आय	
(2)	वेतन, पेशन, नियोजन, मजदूरी से आय	
(3)	मशीनरी, किराया, दुकान, व्यवसाय से आय	
(4)	ब्याज, लाभांश, अन्य स्रोतों से आय	
कुल वार्षिक आय :-		

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

दिनांक :-

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम

भाग-2 (शपथ पत्र)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय रु
अक्षरों रु है। उक्त शपथपत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है।
इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथपत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक
उद्घोषित वार्षिक आय का गलत या मिथ्या होना अथवा किन्हीं तथ्यों में फेर-बदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को
तोड़-मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता की धारा - 177, 197,
199, 200 एवं 420 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं यह अच्छी तरह से समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त
कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर
मुझे 3 से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है।

दिनांक :-

माता/पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर
नाम

भाग-3 (दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाणपत्र)

हम शपथपूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थिया पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी को भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं।
हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थिया के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

(1) हरताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

(2) हस्ताक्षर उत्तरदायी व्यक्ति

नाम.....

पदनाम.....

दिनांक.....

नोट :- (उत्तरदायी व्यक्ति यथा-सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच, महापौर उप
महापौर, नगर निगम-नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्थक, वार्ड मेंबर, राजकीय अधिकारी, कर्गचारी से अभिशप्ता करवाए)

भाग-4 (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
आयु निवासी ने मेरे सामक्ष उपस्थित हो कर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिवचन
किया है, जिसे प्रमाणीकृत/जिराकी पहचान के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर मय सील
प्रमाणीकरण अधिकारी

(कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायबतहसीलदार, नगर निकायों के अधिकारी, नोटेरी पब्लिक, ऑथ कमिश्नर, राजपत्रित
अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हरताक्षर एवं मोहर अंकित कर प्रमाणीकरण करवाए)

स्व-घोषणापत्र

(प्रवेश/अन्तिम घयन के समय आवेदन के संलग्न करें)

(विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में)

आवेदक छात्र/छात्रा के माता/पिता/अभिभावक द्वारा अनिवार्यतः दिया जाएगा)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी पोस्ट तहसील

जिला राज्य राजस्थान, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययन कर चुके अथवा अध्ययनरत संतानों का विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	नाम	पुत्र/पुत्री	आयु
1			
2			
3			

दिनांक :-

हस्ताक्षर
माता/पिता/अभिभावक